<u>न्यायालयः–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,</u>
<u>पॉक्सो अधिनियम 2012, जिला–सीहोर</u>

<u>जमानत आवेदन कं. 174/2026</u>

<u>फाईलिंग न. 2656/2026</u>

<u>सीएनआर नं.एमपी37010031162026</u>

<u>संस्थित दिनांक 04.06.2026</u>

हेमराज आ0 नारायण सिंह आयु 60 वर्ष, जाति चौरसिया निवासी खाईखेड़ा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र.	**आवेदक**
विरूद्ध	
म0प्र0 राज्य द्वारा थाना दोराहा जिला सीहोर म0प्र0	–अभियोजन

//आदेश दिनांक 05.06.2026//

05/06/26 माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रथम प्रभारी विशेष न्यायाधीश महोदय (एट्रोसिटी) सीहोर के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने से, प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। आवेदन पत्र के साथ आरक्षी केन्द्र दोराहा के अपराध क्रमांक–95/26 धारा 296बी, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस की केस डायरी प्रतिवेदन के साथ प्राप्त एवं विचारण न्यायालय की रिमांड पत्रावली प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री एच0पी0 चक्रधर, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/म0प्र0 राज्य द्वारा सुश्री रेखा चौरसिया, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण प्रतिभूति आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा **एमसीआरसी क्रमांक–8227/23 दीपक यादव विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में** पारित आदेश दिनांक 01/04/23 में जमानत आवेदन के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार, जमानत आवेदन आदेश में जानकारी उल्लेखित की जा रही है।

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक	174/26
जमानत आवेदन संस्थित दि.	04.06.2026
अपराध की दिनांक	03.05.2026

अपराध क्रमांक–	95/26
धारा	धारा 296बी, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस,
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की दिनांक	03/05/26
आरक्षी केन्द्र	दोराहा, जिला सीहोर
आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक	02/06/26
न्यायिक अभिरक्षा	02/06/26 से निरंतर
अनुसंधान की स्थिति	अपूर्ण है।
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	–––
अभियोगपत्र क्रमांक	–––
प्रकरण क्रमांक–	–––
आपराधिक रिकार्ड	केस डायरी अनुसार नहीं है।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

सुविधा की दृष्टि से आगे अभियुक्त **हेमराज** को आवेदक के नाम से संबोधित किया जायेगा।

आवेदक की ओर से यह उसका प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बताया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र न तो उच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है। आवेदन के समर्थन में आवेदक के पुत्र **कपिल चौरसिया** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत करते हुये तर्क किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध आरक्षी केंद्र दोराहा द्वारा अपराध क्रमांक–95/26 धारा 296बी, 115(2), 351(3), 3(5) **इजाफा धारा 109** बीएनएस मिथ्या आधारों पर

पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आवेदक को दिनांक 02/06/2026 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए, उसका प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया गया है, तब से आवेदक निरंतर जेल में निरूद्ध। आवेदक को असत्य आधारों पर फंसाया गया है, आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति होकर ग्राम खाईखेड़ा का स्थाई निवासी है, इस कारण उसके पलायन करने की संभावना नहीं है, वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, अधिक दिनों तक जेल में रहने से उसके परिवार के समक्ष आर्थिक समस्या आ रही है। आवेदक अधिरोपित जमानत की शर्तों का पालन करने को तत्पर है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष के तर्क के प्रकाश में थाना दोराहा जिला सीहोर के अप.क्र.–95/26 की केस डायरी, प्रतिवेदन एवं रिमांड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार, मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी फूलसिंह का खेत और आवेदक हेमराज का खेत पास–पास है, बीच में एक मेड़ है, मेड़ पर दो पेड़ थे जिसमें से एक पेड़ को हेमराज ने काट दिया था और एक पेड़ को उसने दिनांक 03/05/26 को सुबह काट दिया है। दिनांक 03/05/26 को दिन के 1:30 बजे वह उसके खेत पर कुयें पर मोटर चलाने आया था तभी रास्ते आ रहे उसके बडे पापा का लड़का हेमराज व उसका लडका सचिन और उसके गांव का गब्बर आये और सुबह पेड़ काटने की बात को लेकर गंदी–गंदी गालियां देने लगे, फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आवेदक हेमराज और सचिन ने उसके साथ हाथ–मुक्कों से मारपीट

की व पास में पड़े हुये डंडे से आवेदक हेमराज ने फरियादी के बांये हाथ की कोहनी में मारी, जिससे उसे चोट आई, फिर उसका बड़ा भाई अवतार सिंह राजपूत बीच बचाव करने आया तो गब्बर ने पास में पड़े डंडे की उठाकर भाई अवतार सिंह को सिर में मारी, जिससे उसके भाई को सिर मे चोट लगकर खून निकलने लगा। घटना उसके भाई उधम सिंह ने देखी व बीच बचाव किया। तीनों आरोपीगण जाते–जाते बोले कि आज तो बच गया आईन्दा पेड़ काटे तो जान से खत्म कर देगें। उसके भाई अवतार सिंह को सिर में चोट होने से संयोग अस्पताल अहमदपर लेकर आया व उन्हें भर्ती करवाकर उक्त आशय की रिपोर्ट लेख कराई।

फरियादी के द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र दोराहा में लेख कराये जाने पर आवेदक व अन्य सह अभियुक्तगण सचिन, गब्बर के विरूद्ध अपराध क्रमांक –95/26 अंतर्गत धारा 296बी, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार कर फरियादी व अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथन लिये गये, आवेदक को दिनांक 02/06/26 को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत अवतार सिंह के सिर में आई चोटों के संबंध में क्वेरी कराये जाने पर, प्राप्त क्वेरी के अनुसार चिकित्सक के द्वारा आहत अवतार सिंह को कारित चोटें प्राणघातक होना बताया गया है, जिससे प्रकरण में धारा **109 बीएनएस** का इजाफा किया गया है।

उभयपक्ष के तर्कों के परिपेक्ष्य में एवं केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि फरियादी फूलसिंह के साथ आवेदक हेमराज के द्वारा हाथ–मुक्कों से मारपीट करना एवं डंडे से हाथ में मारना दर्शित है, आवेदक के द्वारा आहत अवतार सिंह के साथ मारपीट नहीं की गई है। चिकित्सीय परीक्षण अनुसार फरियादी फूलसिंह को साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना दर्शित है। आवेदक 60 वर्षीय होकर, दिनांक 02/06/26 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, एवं संकलित साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी ना करते हुये आवेदक **हेमराज** को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि, आवेदक की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के न्यायालय में **25,000/– रू0 (शब्दों में पच्चीस हजार रूपये)** की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

(1) आवेदक शेष अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा नियमित रूप से नियत पेशियों पर उपस्थित होगा।

(2) अभियोजन साक्षियों को प्रभावित, प्रलोभित नहीं करेगा।

(3)– पीड़िता अथवा साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं एवं इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अभियोजन साक्ष्य के दौरान अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय एवं थाने को मय केस डायरी प्रेषित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर अभिलेख, अभिलेखागार में नियत अवधि में जमा हो।

SMRATA SINGH THAKUR
Digitally signed by SMRATA SINGH THAKUR
Date: 2026.06.05 06:03:11 -0400

सही/–
(श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीहोर
वास्ते– प्रधान सत्र न्यायाधीश सीहोर